कार्यालय — उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यग प्रोत्साहन केन्द्र, बुलन्दशहर।
पन्नीनगर विकास होलीडे होम के पीछे, बुलन्दशहर।
दूरमाष सं0— 05732-235647 Email- gmdicbsr@gmail.com

पत्रांक ६० ६८ / जिल्एलप्रोके-बु०शहर / स्टाप छूट / 2017-18 / दिनांकः ३८-२-२०१८

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, सी-2, चर्तुथतल, महालक्ष्मी माल, आरडीसी, राजनगर, गाजियाबाद।

कृपया अपने पत्रांक 11081, दिनांक 26.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने औद्योगिक क्षेत्र मंसूरी गुलावढी रोड़ के हरतांतरी को पट्टा निष्पादन हेतु शासनादेश 12.02.18 के पैरा 01 में स्पष्ट उल्लिखित है कि 50 प्रतिशत छूट केवल प्रथम केता को प्रदान की जानी है के सम्बंध में जानकारी चाही गयी है कि यूपीएसआईडीसी के द्वारा हस्तांतरित मूखण्डों पर भी क्या छूट मान्य रहेगी या फिर केवल उक्त छूट यूपीएसआईडीसी के मूल आवंटियों को ही दी जानी है।

शासनादेश संख्या-04/2018/180/94-स्टा०नि0-2-2018-700(253)/17, दिनांक 12.02.18 म ऑ०निवश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के प्रस्तर 32.3.4 में जो 50 प्रतिशत छूट का उल्लेख आपके पत्र में किया गया है वह निजी औद्योगिक क्षंत्र विकसित करने वाले उद्यमियों पर लागू होगा। आपके क्षेत्र से सम्बंधित औं०निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 का प्रस्तर 5.1 है जिसमें गाजियाबाद एवं नोएडा को छोड़कर पूरे पश्चिमांचल को, जिसमें जनपद हापुड़ आता है, को 75 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट की श्रेणी में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि यूपीएसआईडीसी के हस्तांतरित मूखण्ड जिन पर प्रथम केता द्वारा स्टाम्प ड्यूटी छूट प्राप्त नहीं की गयी है तो द्वितीय केता का उसका लाम प्रदान किये जाने के सम्बंध में संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु के पत्रांक 2145, दिनांक 09.3.13 में स्पष्ट उल्लेखित है। उक्त पत्र की छाया प्रति आपके आवश्यक कार्यवाही हेत् संलग्न कर प्रेषित है।

. संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

> उपायुक्तं उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र बुलन्दशहर।

libely, should be endused all rebots indoted its.

महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र,

जनपद-हायरल

महोदय,.

कृपया तहायक नहां निरीक्षक, कर एवं निबंधन विभाग को प्रेषित एवं अधिशासी निवेशक, उद्योग बन्धु को पृष्ठांकित पत्र संख्या-1393-96, दिनांक 28.02.2013 का संवर्भ प्रहण करने का कब्द करें। पत्र में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.1.1 एवं 5.1.2 के प्राविधानों के अंतर्गत जाई। कर एवं निबंधन विभाग के आदेश संख्या-79, दिनांक 05.12.2012 द्वारा प्रदत्त स्टैम्प ड्यूर्टा ने छूट के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 में प्राणिधानित प्रस्तर-4.2 के क्रम में कर एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-305 एवं 306, दिनांक 19.01.2005 में क्रियान्वयन हेतु जारी शासनादेश संख्या-1895, दिनांक 10. 05.2010 (छाया प्रति इंतरन) में प्रथम लिखत की परिभाषा निम्नवत् अंकित है :-

''पद प्रथम लिखत का तात्पर्य ऐसे उद्यमकर्ता, जो कोई व्यक्ति, निकाय, न्याय कम्पनी हो, द्वारा अपेक्षित समस्त क्ष्मूबण्डों के अन्तरण के लिए आवश्यक किसी लिखत से है और यदि ऐसे संव्यवहार को पूरा करने के लिए एक से अधिक अन्तरण विलेख समयान्तराल के पश्चात् निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे समस्त अन्तरण लिखतों से हैं।''

उपरोक्त से स्पृट है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 के अंतर्गत प्रथम आवंटी के द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट का लाभ न लिये जाने पर द्वितीय आवंटी को भूखण्ड के आवंटन पर स्टैम्प शुल्क से छूट प्राप्त हो सकती हैं।

अवस्थापना एवं आँद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.1.1 एवं 5.1.2 के प्राविधानों के अंतर्गत कर एवं निवंधन अनुभाग-7 के द्वारा जारी शासनादेश संख्या-79, दिनांक 05.12. 2012 के कियान्वयन एवं प्रक्रिया निर्धारित किये जाने विषयक शासनादेश प्रक्रियाधीन है।

(कौशल राज शमां) संयुक्त अधिशासी निदेशक कार्यालय — उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यग प्रोत्साहन केन्द्र, बुलन्दशहर।
पन्नीनगर विकास होटीडे होम के पीछे, बुलन्दशहर।
दूरमाष सं0— 05732-235647 Email- gmdicbsr@gmail.com

पत्रांक ६० ६८ / जिंचएचप्रोके-बुल्शहर / स्टाप छूट / 2017-18 / दिनांकः 28-2-2018

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०. सी–2, चर्तुथतल, महालक्ष्मी माल, आरडीसी, राजनगर, गाजियाबाद।

कृपया अपने पत्रांक 11081, दिनांक 26.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने औद्योगिक क्षेत्र मंसूरी गुलावठी रोड के हरतांतरी को पट्टा निष्पादन हेतु शासनादेश 12.02.18 के पैरा 01 में स्पष्ट उल्लिखित है कि 50 प्रतिशत शूट केवल प्रथम केता को प्रदान की जानी है के सम्बंध में जानकारी चाही गयी है कि यूपीएसआईडीसी के द्वारा हस्तांतरित मूखण्डों पर भी क्या छूट मान्य रहेगी या फिर केवल उक्त छूट यूपीएसआईडीसी के गूल आवंटियों को ही दी जानी है।

शासनादेश संख्या-04/2018/180/94-स्टा०नि०-2-2018-700(253)/17. दिनांक 12.02.18 में ऑ०निवश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के प्रस्तर 3.2.3.4 में जो 50 प्रतिशत छूट का उल्लेख आपके पत्र में किया गया है वह निजी औद्योगिक क्षंत्र विकसित करने वाले उद्यमियों पर लागू होगा। आपके क्षेत्र से सम्बंधित औ०निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 का प्रस्तर 5.1 है जिसमें गाजियाबाद एवं नोएडा को छोड़कर पूरे पश्चिमांचल को, जिसमें जनपद हापुड़ आता है, को 75 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट की श्रेणी में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि यूपीएसआईडीसी के हस्तांतरित मूखण्ड जिन पर प्रथम केता विश्व स्टाम्प ड्यूटी छूट प्राप्त नहीं की गयी है तो द्वितीय केता का उसका लाम प्रदान किये जाने के सम्बंद पत्र की छाया प्रति आपके आवश्यक कार्यवाही हेत् संलग्न कर प्रेषित है। उत्तरित म् उपरोक्तानसार।

उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र बुलन्दशहर।

holer should be contused its.

महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जनपद-हाथरस

महोदय,.

कृपया सहायक नहा निरीक्षक, कर एवं निवंधन विभाग को प्रेषित एवं अधिशासी निदेशक, कदा करें। पत्र में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवंश नीति-2012 के प्रस्तर-5.1.1 एवं 5.1.2 के प्राविधानों के अंतर्गत जारी कर एवं निवंधन विभाग के आदेश संख्या-79, दिनांक 05.12.2012 द्वारा प्रदत्त स्टैम्प ड्यूर्टा ने छूट के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

तत्क्रम में अव्यात कराना है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 में प्रािग्धानित प्रस्तर-4.2 के क्रम में कर एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-305 एवं 306, दिनांक 19.01.2005 में क्रियान्वयन हेतु जारी शासनादेश संख्या-1895, दिनांक 10. 05.2010 (छाया प्रति हंलग्न) में प्रथम लिखत की परिभाषा निम्नवत् अंकित है :-

''पद प्रथम लिखत का तात्पर्य ऐसे उद्यमकर्ता, जो कोई व्यक्ति, निकाय, न्याय कम्पनी हो, द्वारा अपेक्षित समस्त भूखण्डों के अन्तरण के लिए आवश्यक किसी लिखत से है और यदि ऐसे संव्यवहार को पूरा करने के लिए एक से अधिक अन्तरण विलेख समयान्तराल के पश्चात् निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे नुमस्त अन्तरण लिखतों से हैं।''

उपरोक्त से स्पार्ट है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 के अंतर्गत प्रथम आवंटी के द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट का लाभ न लिये जाने पर द्वितीय आवंटी को भूखण्ड के आवंटन पर स्टैम्प शुल्क से छूट प्राप्त हो सकती हैं।

अवस्थापना एवं ओद्योगिक निवेश नोति-2012 के प्रस्तर-5.1.1 एवं 5.1.2 के प्रविधानों के अंतर्गत कर एवं निवेधन अनुभाग-7 के द्वारा जारी शासनादेश संख्या-79, दिनांक 05.12. 2012 के कियान्वयन एवं प्रक्रिया निर्धारित किये जाने विषयक शासनादेश प्रक्रियाधीन है।

(क्रौशल राज शमां) संयुक्त अधिशासी निदेशक कार्यालय – उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यग प्रोत्साहन केन्द्र, बुलन्दशहर। पन्नीनगर विकास होलीडे होम के पीछे, बुलन्दशहर। दूरभाष सं0- 05732-235047 Email- gmdicbsr@gmail.com

पत्रांक 6068

/जिजएउप्रोके-बु०शहर/स्टाप छूट/2017-18/दिनांकः 28-2-2018

क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, सी-2, चर्तुथतल, महालक्ष्मी माल, आरडीसी, राजनगर, गाजियाबाद।

कृपया अपने पत्रांक 11081, दिनांक 26.02.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने ओद्योगिक क्षेत्र मंसूरी गुलावठी रोड़ के हरतांतरी को पट्टा निष्पादन हेतु शासनादेश 12.02.18 के पैरा 01 में स्पष्ट उल्लिखित है कि 50 प्रतिशत छूट केवल प्रथम केता को प्रदान की जानी है के सम्बंध में जानकारी चाही गयी है कि यूपीएसआईडीसी के द्वारा हस्तांतरित भूखण्डों पर भी क्या छूट मान्य रहेगी या फिर केवल उक्त छूट यूपीएसआईडीसी के मूल आवंटियों को ही दी जानी है।

शासनादेश संख्या-04/2018/180/94-स्टा0नि0-2-2018-700(253)/17, दिनांक 12.02.18 में ओंंंं)निवंश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के प्रस्तर 3.2.3.4 में जो 50 प्रतिशत छूट का उल्लेख आपके पत्र में किया गया है वह निजी औद्योगिक क्षेत्र विकिशत करने वाले उद्यमियों पर लागू होगा। आपके क्षेत्र से सम्बंधित औ0निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 का प्रस्तर 5.1 है जिसमें गाजियाबाद एवं नोएडा को छोड़कर पूरे पश्चिमांचल को, जिसमें जनपद हापुड़ आता है, को 75 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट की श्रेणी में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि यूपीएसआईडीसी के हस्तांतरित भूखण्ड जिन पर प्रथम केता द्वारा स्टाम्प ड्यूटी छूट प्राप्त नहीं की गयी है तो द्वितीय केता का उसका लाभ प्रदान किये जाने के सम्बंध ा में संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु के पत्रांक 2145, दिनांक 09.3.13 में स्पष्ट उल्लेखित है। उक्त पत्र की छाया प्रति आपके आवश्यक कार्यवाही हेत् संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र बुलन्दशहर।

hole, should be embased it rebote industrial

महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जनपद-हाथरसः

महोदय,.

कृपया सहायक नहां निरिक्षक, कर एवं निबंधन विभाग को प्रेषित एवं अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को पृष्टांकित पत्र संख्या-1393-96, दिनांक 28.02.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्टा करें। पत्र में अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.1.1 एवं 5.1.2 के प्राविधानों के अंतर्गत जार्ग कर एवं निबंधन विभाग के आदेश संख्या-79, दिनांक 05.12.2012 द्वारा प्रदत्त स्टैम्प ड्यूटां ने छूट के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 में प्राणिधानित प्रस्तर-4.2 के क्रम में कर एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-305 एवं 306, दिनांक 19.01.2005 में क्रियान्वयन हेतु जारी शासनादेश संख्या-1895, दिनांक 10.05.2010 (छाया प्रति हैंलग्न) में प्रथम लिखत की परिभाषा निम्नवत् अंकित है :-

''पद प्रथम लिखत का तारपर्य ऐसे उद्यमकर्ता, जो कोई व्यक्ति, निकास, न्याय कम्पनी हो, द्वारा अपेक्षित समस्त भूखण्डों के अन्तरण के लिए आवश्यक किसी लिखत से है और यदि ऐसे संव्यवहार को पूरा करने के लिए एक से अधिक अन्तरण विलेख समयान्तराल के पश्चात् निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे नमस्त अन्तरण लिखतों से हैं।''

उपरोक्त से स्पूर्ट है कि औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 के अंतर्गत प्रथम आवंटी के द्वारा स्टैम्प शुल्क से छूट का लाभ न लिये जाने पर द्वितीय आवंटी को भूखण्ड के आवंटन पर स्टैम्प शुल्क से छूट प्राप्त हो सकती हैं।

अवस्थापना एवं ओद्योगिक भिरोश नाति-2012 के प्रत्तर-5.1.1 एवं 5.1.2 के प्राविधानों के अंतर्गत कर एवं निबंधन अनुभाग-7 के द्वारा जारी शासनादेश संख्या-79, दिनांक 05.12. 2012 के कियान्वयन एवं प्रिक्रिया निर्धारित किये जाने विषयक शासनादेश प्रक्रियाथीन है।

(क्रीशत राज शर्मा) संयुक्त अधिशासी निदेशक

व्रदीय,